

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिक विना नहीं करायी है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का फिक्ट (व्यक्तिक, राजकीय, धार्मिक) या अन्य होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अक्षमता के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**स्वास्थ्य वि.इ.जी. केवल आवासीय श्रेणी के लिए**  
**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 617 दिनांक 06/07/2020  
 पीपी शुभेन्द्र कुमार डा.डी मानमल जी  
 ने राजस्थान नगर-पालिका अधिनियम 2009  
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय **P.No: 173/617 जोधपुरी**  
 भवन निर्माण हेतु मानविक्र कार्यालय में पंक्त शहसिज बोर्ड  
 कर स्वनिर्धारण राशि रूपसे 193-68 करोड़  
 जसिने रसीद संख्या 1031/2300, 2301  
 दिनांक 06/07/2020 जमा करा दी है ।

06/07/2020

सहायक नगर निर्माता  
 नगर निगम, जोधपुर

*Revised*  
*Sanctioned*  
9229084598